**[न्या]यालय उपखण्ड** **कठूमर जिला अलवर**

मिसल नं० 12/3/22 तारीख रजू ..........

जाकर खां **बनाम** ग्राम पंचायत तिगरीया, जरिये सरपंच ग्रा०पं०

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/6/22 | वकील अपीलार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना-पत्र अपील अपीलार्थी की ओर से श्री करतार चौधरी एड० ने पेश की गई। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज पंजिका हो। रेस्पो० डेण्ट्स जरिये समन तलब [illegible] डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8/7/22 को पेश हो। [signature]<br>SDM<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |
| 8/7/22 | मुकदमा पेश हुआ [illegible] P.C. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 21/7/22 को पेश हो। [illegible] करतार सिंह चौधरी एड० [illegible] 150 वकालतनामा मय जवाब [illegible] पेश किया | |
| 21/7/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उप०। पत्रावली पर बहस सुनी गई। अतः पत्रावली के तमाम प्रलेख राजस्व रिकॉर्ड पत्रादि रेस्पो० इकबाल जवाब ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 27.6.22 के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन करने पर अपीलार्थी का नाम जाकिर न होकर जाकर खां होना प्रमाणित है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर खसरा संख्या 438 वाके ग्राम [illegible] तहसील से प्रकाशित आसामी का नाम जाकिर पुत्र [illegible] के स्थान पर जाकर खां पुत्र [illegible] दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। इस आदेश की तामील जरिये [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया। जाकर [illegible] मि० किया। पत्रावली [illegible] [illegible] जिला [illegible] [illegible] सुनाया। [signature]<br>उपखण्ड अधिकारी | |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/3 /22

व0उनवान

1. जाकर खां पुत्र चन्द्रा जाति मेव निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

——— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत तिगरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिगरिया पंचायत समिति कठूमर —— असल रेस्पो0
2. आकूपखां पुत्र आंसू उर्फ आसीन खां जाति मेव
3. जुवेर पुत्र आंसू उर्फ आसीन खां जाति मेव
4. रसीद पुत्र आंसू उर्फ आसीन खां जाति मेव निवासीयान ग्राम बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

——— तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 438 वाके ग्राम बायडा

आज्ञा दिनांक 20.05.2010 ग्राम पंचायत तिगरिया

उपस्थित :—

श्री बलवीरसिंह चोधरी अधिवक्ता — अपीलाण्ट की ओर से

श्री बनयसिंह चोधरी अधिवक्ता— रेस्पो0 सं0 1 की ओर से

श्री ओमवीरसिंह फौजदार अधिवक्ता —तर0 रेस्पो0 की ओर से

### निर्णय

दिनांक 21.07.2022

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के पिता श्री चन्द्रा पुत्र रोशन का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2009 को हो गया था। जिनके स्वर्गवास होने के बाद उनका इन्तकाल विरासत संख्या 438 वाके ग्राम बायडा खोला गया। जो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

इन्तकाल ग्राम पंचायत तिगरिया तहसील कठूमर द्वारा दिनांक 20.05.2010 को मिन अपीलाण्ट व तर0 रेस्पो0 सं0 2 ला0 4 के नाम तस्दीक किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त इन्तकाल को दिनांक 20.05.2010 को तस्दीक किये जाने की बाबत मिन अपीलाण्ट का कोई जानकारी नहीं हो सकी हाल में ही मिन अपीलाण्ट ने क्रेडिट कार्ड के जरिये ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त की तो मिन अपीलाण्ट को सर्व प्रथम इस बात का पता चला कि राजस्व अभिलेख में मिन अपीलाण्ट का नाम जाकर खां के स्थान पर जाकिर पुत्र चन्दरा दर्ज किया हुआ है। जिस पर मिन अपीलाण्ट ने जानकारी हांसिल करके उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मिन अपीलाण्ट को दिनांक 12. 06.2022 को नकल प्राप्त होने पर सर्व प्रथम इस बात का पता चला कि ग्राम पंचायत ने जो इन्तकाल संख्या 438 अपीलाण्ट के पिता श्री चन्दरा पुत्र रोशन का दर्ज किया था व तस्दीक किया था उसमें मिन अपीलाण्ट का नाम जाकर खां के स्थान पर गलत तौर पर जाकिर दर्ज किया गया है। जिस पर कानूनी सलाह से अपील विना देरी अदालत श्रीमान में पेश की गई है। दिनांक 20.05.2010 से दिनांक 10.06.2022 तक का समय जानकारी के अभाव में धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कण्डोन फर्माया जावे। ग्राम पंचायत ने विवादित इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व वारिसान के सही नाम के बारे में कोई जानकारी हांसिल नहीं की। उक्त इन्तकाल में मिन अपीलाण्ट का नाम गलत तौर पर जाकिर दर्ज किया गया है। जवकि बास्तव में मिन अपीलाण्ट का सही नाम जाकर खां है एंव मिन अपीलाण्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात व आधार कार्ड व बोटर आई डी कार्ड व अन्य शैक्षणिक में मिन अपीलाण्ट का सही नाम जाकर खां दर्ज है किन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त इन्तकाल में मिन अपीलाण्ट का नाम जाकिर दर्ज किया है जो गलत है। विरासत इन्तकाल में गलत रूप से जाकर खां के स्थान पर जाकिर को शुद्व कराने व हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के लिये अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई है जो स्वीकार की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलव किया गया। तरतीवी प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 जरिये अधिवक्ता हाजिर आये। रेस्पो0 सं0 1 ने अपील अपीलाण्ट के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 438 में अपीलाण्ट का सही नाम जाकर खां दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ सत्य प्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 438 वाके ग्राम बायडा व जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 किता 10 वाके ग्राम बायडा की सत्य प्रतिलिपी पेश की है तथा कक्षा 10 की अंकतालिका, बैंक पास वुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, चन्दरा का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया है।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि इन्तकाल संख्या 438 वाके ग्राम बायडा को रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलाण्ट के सही नाम की जांच किये विना खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दिनांक 20.05.2010 को स्वीकार किया है जिसमें अपीलाण्ट का नाम जाकर खां के स्थान पर जाकिर अंकित किया है जवकि पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात कार्यालय ग्राम पंचायत तिगरिया द्वारा दिनांक 27.06.2022 को जारी प्रमाण पत्र से अपीलाण्ट का नाम जाकिर न होकर जाकर खां प्रमाणित है। अतः इन्तकाल संख्या 438 वाके गाम बायडा से प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट का नाम जाकिर के स्थान पर जाकर खां दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड रेस्पो0 के ईकवाल जवाव व पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। अपीलाण्ट ने इन्तकाल से प्रभावित आराजी की जमाबन्दी पेश की है जिनमें खसरा नम्बर 238, 302, 36, 231, 232, 237, 316, 319, 44, 109, 106, 12, 13, 2, 121, 304, 19, 20 वाके ग्राम बायडा में अपीलाण्ट का नाम जाकिर पुत्र चन्दरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दर्ज है। जवकि अपीलाण्ट ने अपने सही नाम वावत आधार, कार्ड अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास वुक, पैनकार्ड की छाया प्रति पेश की हैं व ग्राम पंचायत तिगरिया का प्रमाण पत्र पेश किया है जिन समस्त दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम जाकर खां पुत्र चन्द्रा खां दर्ज है। रेस्पो0 सं0 1 ने ईकवाल जवाव पेश कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल से प्रभावित जमीन में जाकिर के स्थान पर जाकर खां दर्ज करने की सहमति दी है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व रेस्पो0 के ईकवाल जवाव ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2022 के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन करने पर अपीलाण्ट का नाम जाकिर न होकर जाकर खां होना प्रमाणित है। रेस्पो0 ने इन्तकाल संख्या 438 वाके ग्राम बायडा में अपीलाण्ट को विना सुने विना नोटिस दिये ही अपीलाण्ट का नाम जाकर खां के स्थान पर जाकिर दर्ज करना पाया गया है। जवकि अपीलाण्ट का नाम जाकर खां पुत्र चन्द्रा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 438 वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर से प्रभावित आराजी पर अपीलाण्ट का नाम जाकिर पुत्र चन्दरा के स्थान पर जाकर खां पुत्र चन्द्रा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तहसीलदार कठूमर के नाम इस आशय की तहरीर जारी की जावे। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज 21.07.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)